फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सोहनलाल आदि बनाम पूर्णराम व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–164/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.20	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। वकील उभय उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि चक 1 आर0एम0 के प0नं0 101/311 (25) कि0नं0 3,4,5,6 ता 8, 13 ता 18, 23/1, 24/2, 25/2/3.642 (3.567 है क0 व 0.075 है0 खाला) खातेदारी भूमि इन्तकाल सं. 217 दि0 20.05.17 द्वारा पूर्णराम 0.607 है0, साहबराम 0.608 है0, लालचंद 0.607 है0, सोहनलाल 0.606 है0, देवीलाल 0.607 है0 पि0 हरीराम जाति जाट सा0रामपुरा न्यौला खातेदारी दर्ज है। चक 1 आर0एम0 प0नं0 97/308 (4) कि0नं0 21/3, 22/1 कुल 0.202 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है, जिसमें पूर्णराम 0.034 है0, साहबराम 0.033 है0, लालचंद 0.034 है0, बलवन्तराम 0.034 है0, सोहनलाल 0.034 है0, देवीलाल 0.033 है0 पि0 हरीराम जाति जाट सा0रामपुरा न्यौला के नाम दर्ज रिकार्ड है। चक 2 आर0एम0–ए प0नं0 97/307 (25) कि0नं0 3, 6, 7 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.213 है0 (0.253 है0 क0 व 2.960 है0 अ0क0) खातेदारी भूमि पूर्णराम 0.535 है0, लालचंद 0.535 है0, बलवन्तराम 0.535 है0, साहबराम 0.536 है0, सोहनलाल 0.536 है0, देवीलाल 0.536 है0 पि0 हरीराम जाति जाट साकिन रामपुरा न्यौला खातेदार है। चक 2 आर0एम0–ए प0नं0 97/307 (25) कि0नं0 4, 5/0.506 है0 कमाण्ड भूमि पूर्णराम 0.084 है0, साहबराम 0.069 है0, लालचंद 0.084 है0, बलवन्तराम 0.085 है0, सोहनलाल 0.092 है0, देवीलाल 0.092 है0 पि0 हरीराम जाति जाट सा0 रामपुरा न्यौला के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 2 आर0एम0–ए प0नं0 97/308 (31) कि0नं0 1 ता 19/4.807 है0, 20/0.164 है0, 22/0.114 है0, 23/0.240 है0, 24 ता 25/0.506 है0 कुल 5.831 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में मेहरचंद पुत्र मलूराम 2.961 है0, पूर्णराम 0.486 है0, साहबराम 0.486 है0, लालचंद 0.485 है0, सोहनलाल 0.486 है0 , देवीलाल 0.486 है0, बलवन्तराम 0.486 है0 पि0 हरीराम जाति जाट सा0रामपुरा न्यौला के नाम से दर्ज है। चक 11 एनडब्लयूडी का प0नं0 109/307 (1) कि0नं0 11/2, 12, 19, 20/2, 21/2, 22 कुल 1.443 है0 अ0क0 भूमि में पूर्णराम 0.240 है0, साहबराम 0.240 है0, लालचंद 0.240 है0, बलवन्तराम 0.241 है0, सोहनलाल 0.241 है0, देवीलाल 0.241 है0 पि0 हरीराम जाति जाट सा0रामपुरा न्यौला खातेदार दर्ज है। उक्त वर्णित चकों की कुल छः संयुक्त खातों में अलग–2 पत्थर नम्बर व किलाजात में अंकित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के नाम से 1.995 है0 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 के नाम से 1.995 है0 हिस्सा कमाण्ड, अनकमाण्ड व खाला खातेदारी कृषि भूमि अंकित है। उक्त वर्णित भूमि कमाण्ड व अनकमाण्ड दोनों किस्म की है। अंकित संयुक्त खातों की कृषि भूमि में प्रत्येक खाता में प्रार्थीगण/सहखातेदारान अपने–अपने हिस्सा तक, खातों की कुल कृषि भूमि में प्रत्येक इंच के अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि के हिस्सेदार व खातेदार है। अप्रार्थीगण केवल अच्छी विशिष्ट उपजाउ कृषि भूमि को अकेले अपनी भूमि बताकर आगे अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को खाता विभाजन के बाद विशिष्ट भूमि का कब्जा केता सौपनें का कहने पर अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी है कि वह विशिष्ट भूमि का ही कब्जा रहन या बेचान कर अजनबी केता को सौपेंगें। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में अंकित भूमि का अप्रार्थीगण के द्वारा वाद पत्र के निर्णय तक रहन, बैय इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित न करने, इसमे से विशिष्ट उपजाउ भूमि का कब्जा मौका पर अजनबी केतागण को ना सौपें जाने व उर्वरा शक्ति को क्षति ना पंहूचाने व दखलदांजी न करने हेतु पाबंद करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र को दोहराते हुए बताया कि सहकाश्तकार अपने हिस्सा मुताबिक काबिज है। अप्रार्थीगण ने अपने हिस्सा में आई भूमि को सुधार कर काफी रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है तथा अपनी सुधारी हुई भूमि का ही खाता विभाजन करवाना चाहते है। प्रार्थीगण [illegible] कतई प्रार्थीगण के हक में नही है। अप्रार्थीगण भूमि का बैचान [illegible]। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मात्र परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। कोई भी काश्तकार अपने सहकाश्तकार खातेदार के विरूद्ध [illegible] अपने हिस्से से अधिक भूमि पर स्थगन प्राप्त नही कर सकता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रा0पत्र निरस्त किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:46:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जैरवाद रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी रकबा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने कथन किया है कि अप्रार्थीगण अजनबी व्यक्ति को उपजाउ भूमि या विशिष्ट भूमि बेचान कर दिया तो उन्हे अपूर्णनीय क्षति होगी व जैरवाद रकबा को किसी प्रकार की क्षति ना पहूंचाये। पूर्व में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध समस्त रकबा पर स्थगन जारी किया गया है। किसी खातेदार को उसके हिस्सा की भूमि का स्थगन जारी किया जाना उचित नही है उसके हिस्सा की भूमि को बेचान नही करने हेतु प्रतिबंधित किया जाना उचित नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 04.10.2017 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है कि अप्रार्थीगण वाद पत्र के निर्णय तक जैरवाद रकबा में से विशिष्ट हिस्सा या किलाजात दर्शाते हुए रहन, बैय या हस्तातंरण नही करेगें तथा भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचायेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:46:28 IST
Reason: SelfAttested